न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस
प्रार्थना–पत्र संख्या :– 360 / 2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्रीमती छोटी देवी पत्नी नाथू जाति बलाई निवासी आमलोदा दूदी (फौत)
रमेश पुत्र छोटी पत्नी नाथू
मनोज पुत्र छोटी पत्नी नाथू
हरिश चन्द पुत्र छोटी पत्नी नाथू (फौत)
बंटी पत्नी हरिशचन्द
सुमिता वर्मा पुत्र हरिशचन्द
मुस्कान पुत्री हरिशचन्द
खुशी पुत्री हरिशचन्द
पूरण पुत्र छोटी पत्नी नाथूराम (फौत)
मीना पत्नी पूरण
तुसार वर्मा पुत्र पूरण
विसाल वर्मा पुत्र पूरण
सिमरन पुत्री पूरण
विशाली पुत्री पूरण
कैलाश पुत्र छोटी देवी पत्नी नाथू
फूली देवी पुत्री छोटी देवी पत्नी नाथू
कृष्णा पुत्री छोटी देवी पत्नी नाथू
समस्त जाति बलाई निवासी आमलोदा दूदी हाल निवासी दिल्ली

अप्रार्थीगण्

निर्णय दिनांक 27.7.2021

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन निर्णय 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थी की ओर से न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 1540 / 1324 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 01 वाके ग्राम आमलोदा दूदी तहसील विराटनगर अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है, परन्तु

उक्त आराजी पर आवंटन के पश्चात् अप्रार्थीगण का आदिनांक कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों की नियमानुसार पालना नहीं की है। इस कारण अप्रार्थी की गैर खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमावें तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अप्रार्थी की सुनवायी के लिए जरिये सम्मन तल्बी जारी करायी गयी, जिससे तामील कुनिन्दा ने अप्रार्थी छोटी देवी को फौत होना जाहिर किया। प्रकरण में छोटी देवी को फौत होना जाहिर किया। प्रकरण में छोटी देवी के का0म0 की रिपोर्ट प0ह0 से प्राप्त की जाकर मृत्क के वारिसान् की तल्बी नियमानुसार करायी गयी। बाद तामील बंटी पत्नी हरिशचन्द तुसार वर्मा विशाल मनोहरलाल वगैरह उपस्थित आये । शेष अप्रार्थीगण् की तामील एवं सूचना होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. हस्तगत मामले में प्रार्थीगण् भैरू व रामचन्द्र पुत्रान् मोहन जाति माली निवासी आमलोदा दूरी की ओर से विवादास्पद आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताकर जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रस्तुत किया जिसका जवाब अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 24/12/2013 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर उपभयपक्षों को सुना जाकर खारिज किये जाने के आदेश दिये गये।

4. बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार विराटनगर) द्वारा अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये कथन किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व तैयारी हेतु गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार करने के सम्बन्ध में चाही गयी रिपोर्ट दिनांक 27/01/2013 में पटवारी हल्का ने ग्राम आमलोदा दूरी के आराजी ख.नं. 1540/1324 रकबा 0.64 है0 के मौके पर आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना जाहिर करते हुये भैरू रामचन्द्र पुत्र मोहन जाति माली सा. देह द्वारा उन्होंने 1989 से कब्जा काश्त होना बताया गया तथा भूमि का खरीदना बताया है तथा मौके पर अप्रार्थी का आज भी कब्जा काश्त नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/आवंटी की गैर खातेदारी निरस्त फरमावें।

5. मृत्क-छोटी देवी के वारिसान् न्यायालय हाजा उपस्थित होकर उनका कथन है कि आवंटी एक अनु0जाति एवं भूमिहीन होने के कारण भूमि आवंटन सलाहार समिति द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंट कर कब्जा दिया गया था, जिस पर अप्रार्थीगण् निर्विवाद रूप से काबिज काश्त है। कब्जाकाश्त के आधार पर ही अप्रार्थी/आवंटी को गैर खातेदारी मिली है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कराने का प्रार्थना–पत्र दिया गया था किन्तु

आवटी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र को निस्तारण नहीं किया गया। प्रार्थी के विरूद्व प्रशासन गांवों के संग अभियान में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी मौके की रिपोर्ट पूर्णतः संदेहस्पद होना स्पष्ट है तथा मौके की रिपोर्ट पर तथाकथित भैरू व रामचन्द्र पुत्रान् मोहन माली के हस्ताक्षर है जिन्होंने मिलीभगत कर झूठी रिपोर्ट बनायी है जो प्रार्थी के हक हकूकों पर शून्य एवं बेअसर है तथा उक्त प्रकरण में भैरू व रामचन्द्र की ओर से प्रस्तुत किया गया। आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 10 सीपीसी उनका उक्त आराजी में हित निहित सिद्व नहीं होने से खारिज किया जा चुका है। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/आवंटी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता, जबकि आवंटी ने सभी आवंटन की शर्मा की पालना की है। पटवारी हल्का द्वारा किस तारीख किस माह को तथा किस वर्ष में आवंटन हुआ है इसका अपनी रिपोर्ट में कही भी अंकन नहीं किया है। पटवारी की अधूरी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र पेश किया है। कब्जा काश्त के आधार पर गैर खातेदारी आवंटी के पक्ष में दर्ज होती है। आवंटन एवं गैर खातेदारी के 10 वर्ष बाद आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। वर्तमान में आवंटी मृत्क के वारिसान् द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से अधूरी रिपोर्ट प्राप्त कर तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त विवादास्पद भूमि ख.नं. 1540/1324 रकबा 0.64 है0 किस्म बारानी 01 वाके आमलोदा दूदी बाबत आवंटन निरस्त कराने का काफी वर्षो बाद पेश किया है। इसलिए प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज फरमाया जावें।

6. हमने उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूत एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर अध्यन किया तथा उभयपक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम आमलोदा दूदी ख.नं. 1540/1324 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 01 छोटी पत्नी नाथू जाति बलाई सा. देह गैर खातेदारी दर्ज होना अंकन किया है। मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है तथा आवंटन होने के बाद आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। पटवारी हल्का ने धारा 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही कराने बाबत तहसीलदार विराटनगर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत् पेश कर निवेदन किया है कि आ0ख0नं0 1540/1324 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 01 वाके ग्राम आमलौदा दूदी तहसील विराटनगर में से अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज करनेके आदेश प्रदान करें, मृत्क आवंटी के वारिसान् द्वारा उपस्थित होकर कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी गलत

रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) पेश कर अप्रार्थी/आवंटी की गैर खातेदारी को अपास्त करने तथा आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया है जबकि तहसीलदार विराटनगर को प्रार्थना–पत्र के साथ मूल आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए थी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना–पपत्र में यह अंकित किया है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी/अप्रार्थी का आदिनंक तक कब्जाकाश्त नहीं है तथा आवंटी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार मृत्क अप्रार्थी को भूमि आवंटन की गयी है। आवंटन होने के पश्चात् से आवंटी को गैर खातेदारी मिली है। आवंटी की मृत्यु होने के उपरान्त उनके वारिसान् द्वारा आवंटन शुद्वा भूमि पर कब्जाकाश्त है। कब्जाकाश्त के आधार पर गैर खातेदारी दर्ज होती है तथा आवंटन एवं गैर खातेदारी के 10 वर्ष पश्चात् आवंटितशुद्वा भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। आवंटी गैर खातेदार रहकर कब्जा काश्त की है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थीगण् द्वारा कब्जा काश्त कर उक्त आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग रकते आ रहे है। इससे यह प्रतीत होता है कि आवंटी आवंटन की शर्तों का कभी उल्लघंन नहीं किया है। प्रार्थी तहसीलदार आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना–पत्र काफी अर्से बाद पेश किया है तथा उक्त भूमि को सिावयक कराने का निवेदन किया है वह चलने योग्य नहीं है। इसलिए आवंटी/अप्रार्थी को विधि अनुरूप किया गया आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा- प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी/अप्रार्थीयां के नाम आ0ख0नं0 1540/1324 रकबा 0.64 है0 किस्म बंजड 01 गैर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उसका गैर खातेदारी से खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में उनके वारिसान् का नाम दर्ज किया जावें, तद्नुसार पालना हों। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार विराटनगर (जयपुर) को तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 27.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)